राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 3048/2023

राजेन्द्र कुमार सोनी —अपीलार्थी

बनाम

1. आयुक्त, राहत प्रबंधन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, नागरिक सुरक्षा, जयपुर।
3. नियंत्रक–सह कलक्टर, नागरिक सुरक्षा, कलेक्ट्रेट जयपुर।
4. श्री अमित शर्मा, उप–नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा, कलेक्ट्रेट जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 30.10.2023
आदेश की दिनांक : 01.11.2023

अपीलार्थी की ओर से : श्री धर्म चंद जैन, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावडा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि यह कि अपीलार्थी को प्रारंभ में दिनांक 08.12.1993 को सिविल डिफेंस बीकानेर में फायरमैन के रूप में नियुक्त किया गया था और कोटा सहित कई स्थानों से स्थानांतरित किया गया था। अपीलार्थी को दिनांक 20.07.2007 को कोटा से जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके बाद उन्हें जनवरी 2021 में जयपुर से जालोर स्थानांतरित कर दिया गया था और तब से अपीलार्थी वहीं कार्यरत हैं। अपीलार्थी को प्रथम चयनित वेतनमान 9 वर्ष की सेवा पूरी करने पर तथा द्वितीय ए.सी.पी. की अनुमति दिनांक 08.12.2014 को दी जानी थी, लेकिन आज तक इसकी अनुमति नहीं दी गई है। हालाँकि द्वितीय एसीपी की स्वीकृति का आदेश प्रत्यर्थी संख्या–2 द्वारा दिनांक 22.08.2023 (अनुलग्नक–1) द्वारा 8 वर्ष से अधिक की अवधि पर जारी किया गया है।

द्वितीय एसीपी 2014 और 7वें वेतन आयोग, संशोधित वेतनमान 2016 के के लिए वेतन निर्धारण और वेतन भत्ते का बकाया, बार–बार मौखिक और लिखित अनुरोध के बावजूद प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा दुर्भावनापूर्ण रूप से अपीलार्थी को भुगतान नहीं किया गया है। इसलिए, वह इस अपील में नाम लेकर पार्टी को प्रतिवादी बना रहे हैं। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 1, 3 और 4 से पत्र दिनांक 05.04.2023 (अनुलग्नक–2), 01.

06.2023 (अनुलग्नक–3) और 19.06.2023 (अनुलग्नक–4) द्वारा भी अनुरोध किया है, लेकिन अपीलार्थी को आज तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। प्रत्यर्थी संख्या–4, प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा जारी आदेश दिनांक 22.08.2023 का अनुपालन नहीं कर रहा है और न ही दिनांक 08.12.2023 से देय दूसरी एसीपी और 7 वेतन में निर्धारण कर रहा है। (आरपीएस 2016)।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को 2014 से देय द्वितीय एसीपी और एजीआई के दावे, आरपीएस 2016 के बकाया 12 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान करने का निर्देश दिया जावे।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके। अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा पूर्व में दिए गए अभ्यावेदन को सक्षम प्राधिकारी राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य